न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :—श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 —89 / 2019(2020 / 00333)

अनवान : —

1. शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

—प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
2. विजयसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
3. जगदीश पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गढ़ड़ा तहसील भादरा।
4. कान्ता पुत्री पुत्र शेरसिंह जाति जाट निवासी गढ़डा तहसील भादरा।

—अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र बाबतरिकार्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136राजस्थानकास्तकारीअधिनियम

उपस्थिति :—श्री सुरेन्द्र बैनीवाल — प्रार्थी
राजपैरोकार—राज0 सरकार

निर्णय

दिनांक : 05/02/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील भादरा रोही मौजा गढडा के खाता सं0 162 / 163 के खसरा संख्या 148 की 6.892 हैक्टेयर खसरा सं0 469 की 4.540 हैक्टेयर कुल किता 2 की 11.432 हैक्टेयर बारानी मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया व अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से 3 / 8 हिस्सा व खाता संख्या 163 / 164 के खसरा सं0 518 / 152 की 1.012 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के नाम संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा खातेदारी एवं खाता संख्या 164 / 165 के खसरा सं0 41 की 1.783 हैक्टेयर बारानी खातेदारी में प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण सं0 2 ता 4 के नाम से 3 / 4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थीया का सही नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह के स्थान पर सावत्री बेवा शेराराम दर्ज हो गया।

प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह की बजाऐ सावत्री बेवा शेराराम दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरित असर पड़ता है। प्रार्थीया के आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड व बैंक पास बुक में प्रार्थीया का नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत गढ़डा द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:45 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीया का उपरोक्त जमाबन्दी में शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह की बजाऐ सावत्री बेवा शेराराम दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकती है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकती है। प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम सावत्री

उपखण्डाधिकारी (राजस्व,
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बेवा शेराराम के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह के स्थान पर सावत्री बेवा शेराराम दर्ज होने से प्रार्थीया राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑनलाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीया का नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह दर्ज रहने से प्रार्थीया के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंजित होना पड़ता है। प्रार्थीया के ग्राम गढ़ड़ा में खाता सं0 162 / 163, 163 / 164 व 164 / 165 में प्रार्थीया का नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने ग्राम रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 162 / 163, 163 / 164 व 164 / 165 में राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र मे अंकित किया है कि **''प्रार्थीया का नाम विरासतन दर्ज करते समय प्रार्थीया का सही नाम शांति देवी पत्नी शेरसिंह के स्थान पर सावत्री बेवा शेराराम दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थीया ने प्रति आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड व बैंक पास बुक पेश किये है जिनमे प्राथीया का नाम शांतिदेवी पत्नी शेरसिंह अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा ग्राम गढडा के खाता सं0 162 / 163, 163 / 164 व 164 / 165 में मुश्तर्का खाता में प्रार्थीया का नाम **''सावत्री बेवा स्व0 शेराराम के स्थान पर शांतिदेवी बेवा स्व0 शेरसिंह व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता का नाम शेरसिंह''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच सावत्री बेवा शेराराम के नाम से विचाराधी न हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए सावत्री बेवा शेराराम ही प्रभावी माना जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थीया स्वयं जिम्मेवार होगी। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.09.24 10:11:45 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
RAS
उपखण्डअधिकारी (राजस्व)
भादराजिलाहनुमानगढ

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) जिला-हनुमानगढ़